



महोबा पुलिस

दिनांक- 14.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 360/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

- आज दिनांक 14.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





दिनांक- 14.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 361/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 13.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित 30नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह कां0 धर्मवीर, रि0कां0 अजीत यादव व म0कां0 प्रगति सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/26 धारा 137(2)/64(1)/87 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अंकित तिवारी पुत्र रमेश तिवारी उम्र 24 वर्ष निवासी मो0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को बांदा तिराहा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंकित तिवारी पुत्र रमेश तिवारी उम्र 24 वर्ष निवासी मो0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 गौरव चौबे
2. कां0 धर्मवीर
3. रि0कां0 अजीत यादव
4. म0कां0 प्रगति सिंह





दिनांक- 14.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 362/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में यातायात पुलिस टीम द्वारा विद्यालयी वाहनों की सघन चेकिंग, यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक।

आज दिनांक 14.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न विद्यालयी वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान स्कूल बसों एवं अन्य विद्यालयी वाहनों की विधिवत जांच करते हुए ओवरलोडिंग, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संचालन, फिटनेस, परमिट, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का गहन निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मानक के अनुरूप न पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

अभियान के दौरान वाहन चालकों, परिचालकों एवं विद्यालय प्रबंधन को यातायात नियमों का पालन करने तथा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आमजन को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई।

यातायात पुलिस द्वारा भविष्य में भी ऐसे सघन चेकिंग अभियान निरंतर चलाए जाने की बात कही गई है, जिससे जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।

